ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन / पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

जिला:–कुशीनगर
विकास खण्ड:– खड्डा
ग्राम पंचायत:– गड़िया बसंतपुर
समिति का प्रकार (एकल):– एकल

आज दिनांक 9/1/24 को ग्राम पंचायत गड़िया बसंतपुर के गांव बसंतपुर में एक बैठक सम्पादित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए:–

आज की बैठक में ग्राम पंचायत गड़िया बसंतपुर से सम्बन्धित एकल / बहुल ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित सदस्यों को समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया।

क्र0 सं0	नाम	मोबाइल नम्बर	(महिला / SC / ST)	आयु	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीराम राव	9936261982	GEN	45	अध्यक्ष	[illegible]
2	अनिल सिंह	6389759213	GEN	50	सचिव	[illegible]
3	बृजेश यादव	9005252474	OBC	38	सदस्य	बृजेश यादव
4	धर्मेन्द्र	6399511460	OBC	50	सदस्य	धर्मेन्द्र
5	विजय प्रताप	8933076705	GEN	39	सदस्य	विजयप्रताप
6	राधेश्याम	7318017311	GEN	53	सदस्य	राधेश्याम
7	अशोक पाठक	9560887307	OBC	24	सदस्य	अशोक
8	बृजेश कुशवाहा	9621570025	OBC	56	सदस्य	बृजेश
9	राजकुमार	9670860681	SC	45	सदस्य	राजकुमार
10	कृष्णावती	9935744202	SC	28	सदस्य	कृष्णावती
11	इन्द्रधर	9621590025	SC	55	सदस्य	इन्द्रधर
12	अनिल कुमार	7880691814	SC	54	सदस्य	अनिल कुमार
13					सदस्य	
14					सदस्य	
15					सदस्य	
16					सदस्य	
17					सदस्य	

उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

1. हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य मे अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को एफ0एच0टी0सी0 प्रदान कराना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बस्तियो से दूर स्थित छिट–पुट घरों को भी एफ0एच0टी0सी0 प्राप्त हो।
2. जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वी0ए0पी0) की तैयारी सुनिश्चित करना।
3. गॉव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख–रखाव करना और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना।
4. केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रकिया के माध्यम से एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा यथा– निर्धारित एजेंसियों / विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं / वस्तुओं / सामग्री का प्रापण करना।
5. अत: ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा–स्थिति 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और / या वस्तु और / या श्रम के रूप में हो सकता है।
6. स्त्रोत स्थायित्व, गदले जल के पुन: उपयोग, जल संरक्षण उपायो, आदि सहित अंत: ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
7. सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख–रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना / ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही–खाता बनाया जाए।
8. उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएं और उसका रख–रखाव करें, जो नकदी और / या वस्तु और / या श्रम के संदर्भ मे सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत, प्रचालन एवं रख–रखाव लागत / जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
9. पी0आर0ए0 गतिविधियो के लिए समुदाय को एकजुट करना।
10. जल शुल्क / प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना।
11. स्थानीय जल स्त्रोतों सहित अत: ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी लेना।
12. ग्राम पंचायत / ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
13. योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
14. अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
15. एक वर्ष मे कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त / रिकॉर्ड रखना।
16. फील्ड जॉच किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय–समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार–प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं / छात्रों / महिलाओं को नियोजित / प्रशिक्षित करना।
17. राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है।

अंत मे बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

हस्ताक्षर एवं मोहर
सचिव

महामंत्री
ग्रामोदय
ग्राम टेकी पो०–सिंगहा
जिला–कुशीनगर

हस्ताक्षर एवं मोहर
ग्रा0 प्रधान

आई0एस0ए0 का नाम–ग्रामोदय
आई0एस0ए0 कार्मिक का नाम व मोबाइल टीम लीडर
वि0ख0–खड्डा, कुशीनगर
ISA-GRAMODAYA, KUSHINAGAR